

प्रपत्र-स  
शपथ-पत्र

मे. संजीता राज

उप 15 वर्ष, \*नगर निगम/नगर पंचायत/नगर प्रशासन मुजफ्फरपुर के वार्ड संख्या - 19  
मोहल्ला गोला बाँध रोड पिन 231001 जिला मुजफ्फरपुर  
बिहार का निवासी है, तथा शपथ पूर्वक घोषणा कृपया/करती है:-

कि मैं अपना नाम निर्देशन पत्र \*नगर निगम/नगर पंचायत/नगर प्रशासन मुजफ्फरपुर के  
वार्ड संख्या 19 के \*पार्षद/उप मुख्य पार्षद/मुख्य पार्षद पद के निर्वाचन हेतु दाखिल का रजिस्ट्री है

कि मैं बिहार नगरपालिका अधिनियम, 2007 की धारा 18 के उपबन्धों से पूर्णतः अवगत है;

कि मैं बिहार नगरपालिका अधिनियम, 2007 की धारा 18 के तहत \*नगर निगम/नगर पंचायत/नगर प्रशासन मुजफ्फरपुर के वार्ड 19 के \*पार्षद/उप मुख्य पार्षद/मुख्य पार्षद पद के निर्वाचन के लिए अधवा निर्वाचन के बाद अपने पद पर बने रहने के लिए अर्नाहत नहीं है;

कि संलग्न अनुसूचित में मेरे द्वारा अंकित की गई सूचनाएँ मेरे विश्वास एवं जानकारी से सही और सत्य है।

1. गवाह का पूर्ण हस्ताक्षर शिवशंकर प्रसाद  
नाम- शिवशंकर प्रसाद  
पता- गोला बाँध रोड वार्ड नं: 19  
मुजफ्फरपुर

संजीता राज  
अध्यक्षी का हस्ताक्षर

I Know.  
Sanjay Kumar  
Adv.  
23/9/22

2. गवाह का पूर्ण हस्ताक्षर अनिल कुमार शाह  
नाम- अनिल कुमार शाह  
पता- गोला बाँध रोड  
मुजफ्फरपुर

स्थान : मुजफ्फरपुर SR..... DATE 23 SEP 2022

दिनांक : 23/9/22

लगातार .....

\*जो लागू नहीं हो उसे खारज करें।  
नोट : कार्यपालक दण्डाधिकारी/नॉटरी पब्लिक/ओम्स कमिशनर के समक्ष शपथ ली जाएगी।

THE ABOVE NAMED EXTER... BEEN IDENTIFIED BY  
PERSONALLY TO MY  
SATISFACTION AT THE...  
FOR BEFORE ME  
KASHI...  
ARY & (ADV.)  
ONE 2022 12:45 PM 23 SEP 2022

नगरपालिका आम निर्वाचन, २०२२ के अवसर पर प्रत्येक अभ्यर्ची द्वारा शपथ-पत्र के साथ दी जाने वाली सूचनाओं का प्रपत्र

जिला को \*नगर निगम\* नगर परिषद \*नगर प्रशासन

पे. नार्थ मंथन 19 पे. \*सर्पे\* का मुद्रा \*सर्पे\* मुद्रा जलद पद का विचार।

अभ्यर्थी का नाम: स्नेहा राज

पति का नाम - श्री. गुण

1. क्या आप देश के भीतर या बाहर किसी न्यायालय द्वारा कभी कारावास या अर्धदण्ड से दंडित किये गये हैं-

(क) यदि हाँ, तो निम्न विवरण अंकित करें:-

(i) न्यायालय का नाम जिसके द्वारा दीक्षा किये गये- *2802*

(ii) रॉडित किये जाने की तिथि एवं गार मंजूर- 28/02

(iii) किये गये अपराध की प्रकृति-  
(अभिनियम एवं धाराओं का विवरण सहित) 

(iv) दिया गया दण्ड- ४०२/

(v) काराधीन रहने की अवधि, यदि कोई हो- ५०५

(vi) कारावास से मुक्त होने की तिथि- 28/02

(ख) उपरोक्त दण्डादेश के विरुद्ध कोई अपील/पुनर्विचार का आवेदन दायर किया गया है या नहीं?

(i) अपील संख्या/पुनर्विचार आवेदन पत्र, यदि कोई हो, का विवरण- २५०४

(ii) न्यायालय का नाम जिसके समक्ष अपील/पुनर्विचार आवेदन पत्र दायर किया गया- ४५

(iii) क्या दायर अपील/पुनर्विचार आवेदन पत्र निष्पादित हो चुका है अथवा लॉयत है- शुद्ध

(iv) यदि निष्पादित है, तो

(क) निष्पादन की तिथि- २०२७

(ख) पारित आदेश का संक्षिप्त विवरण- ४०२

(v) क्या अपील/पुनर्विचार आवेदन पत्र के विचारण के दौरान कोई जमानत दिया गया- 4

(v) क्या अपील/पुनर्निर्धार आमतौर पर प्रभावी होता है?

(vi) यदि हाँ, तो जमानत पर मुक्त रहने की अवधि- ५०३७

(ग) क्या आप किसी न्यायालय में किसी अपराध में दोषमुक्त (acquittal) या उन्मोचित (discharge)

किये गये हैं, यदि हाँ तो निम्न विवरण दें-

(i) न्यायालय जिसके द्वारा दोषमुक्त किये गये हों- शुद्ध  
शुद्ध

(ii) आरोप की प्रकृति एवं वाद संख्या- २१/१५

2. क्या आप मामला दर्जित करने की तिथि को छः माह पूर्व देश के भीतर या बाहर किसी व्यक्ति मामले में आरोपित हैं और उसमें आरोप तैयार कर लिया गया है अथवा सक्षम विधि न्यायालय द्वारा संज्ञान लिया गया है, जिसमें छः माह से ज्यादा की सजा हो सकती है? यदि हाँ, तो निम्न विवरण दें:-
- अभिनियम की धारा और अभियोग का विवरण जिनके लिये आरोपित है। संज्ञान लिया गया है- *शून्य*
  - न्यायालय जिसने आरोप तैयार किया है/संज्ञान लिया है- *शून्य*
  - अपराध संख्या *शून्य*
  - आरोप तैयार करने/संज्ञान लेने का न्यायालय के आदेश का दिनांक- *शून्य*
  - उपर्युक्त आरोप तैयार करने/संज्ञान लेने के विरुद्ध अपील (अपीलों)/पुनर्विलोकन का प्रार्थना पत्र (पत्रों) यदि कोई हो तो उसका विवरण- *शून्य*
3. क्या आपके विरुद्ध डक्ट कोडका (2) में वर्णित मामले से भिन्न किसी अन्य मामले में देश के भीतर या बाहर किसी न्यायालय द्वारा संज्ञान लिया गया है? यदि हाँ, तो निम्न विवरण दें:-
- अभिनियम की धारा और अभियोग का विवरण जिनके लिये आरोपित है/ संज्ञान लिया गया है- *शून्य*
  - न्यायालय जिसने आरोप तैयार किया है/संज्ञान लिया है- *शून्य*
  - अपराध संख्या *शून्य*
  - आरोप तैयार करने/संज्ञान लेने का न्यायालय के आदेश का दिनांक- *शून्य*
  - उपर्युक्त आरोप तैयार करने/संज्ञान लेने के विरुद्ध अपील (अपीलों)/पुनर्विलोकन का प्रार्थना पत्र (पत्रों) यदि कोई हो तो उसका विवरण- *शून्य*
4. यदि कोई निर्वाचन संबंधित अपराध लॉचत हो, तो पूर्ण विवरण- *शून्य*

अपनी परिसम्पत्ति अपने पति/पत्नी एवं आश्रितों सहित का विवरण निम्नवत है:-

(क) अचल सम्पत्ति:- *कुल 164 डी. वर्तमान मूल्य रु. 1,45,50,125 = 00 रु. एवं दादी के नाम से है। नाम से है जिहका शमक-पत्र एवं एनो 15 साध में संलग्न है।*

(i) कृषि भूमि :-

*कुल 12.06 डी.समिलित एवं 128 कर्वासेट, वर्तमान मूल्य रु. 82,96,356 = 00 रु. एवं दादी साध के नाम से है।*

(ii) शहरी भूमि- *शमक-पत्र एवं एनो 1 साध में संलग्न है।*

*कुल 10.12 डी.समिलित एवं 18. मुगलपुरा भवन का वर्तमान मूल्य 12,44,700 = 00*

(iii) भवन *कुल 10.12 डी.समिलित एवं 19. मुगलपुरा भवन का वर्तमान मूल्य 14,54,400 = 00*

*कुल 21. मुगलपुरा भवन का वर्तमान मूल्य 3,93,400 = 00*

उपर्युक्त की स्थिति, माप तथा वर्तमान बाजार मूल्य दिया जाए। *मूल्य रु. 3,93,400 = 00*

*भवन का पुरा एनो 1 की प्रति साध में संलग्न है।*

(ख) भवन सम्पत्ति तथा उपकी वर्गीकरण कीमत:-

(i) पक्का 277 रु 28,000 रु 800  
1277 रु 28,000 रु 800

(ii) बैंक बिलेन 9. (16, 202 रु 41

(बैंक का प्रिन्सिपल बिलेन रु 1,000 रु 00  
रु 2, 24, 400 रु 80

(iii) फ्लेम डिपोजिट रु 200

(प्रमाण पत्र की छायाप्रति संलग्न करें)

रु 200 रु 63, 240 रु 80

(v) वाहन 12,000 रु 800

(निर्धारण की छाया प्रति जिसका परिचयन

पराधिकारी की मुहर के साथ संलग्न करें)

(vi) आभूषणों का विवरण (पूर्ण विवरण दें)

रु 1, 1, 626 रु 80

रु 1, 1, 626 रु 80

रु 1, 1, 626 रु 80

रु 1, 1, 626 रु 80

रु 1, 1, 626 रु 80

6. \*\* (क) अपने पति/पत्नी एवं अभिनों सहित के दायित्वों/वितीय संस्थाओं के बकायों का पूर्ण विवरण दिए जाएँ (प्रमाण-पत्रों के साथ)

रु 200

(ख) अगर के.सी.सी. है तो उसके अद्यतन प्रमाण-पत्र की छायाप्रति

रु 200

7. अपनी शैक्षणिक योग्यता का विवरण स्कूल व कॉलेज

के नाम के साथ अंकित करें- मैट्रिक, महिला शिल्प कला गवर्न

मुजफ्फरपुर

मैं घोषणा करता/करती हूँ कि उपरोक्त सूचनाएँ मेरी जानकारी एवं विश्वास में सही और सत्य हैं।

स्थान- मुजफ्फरपुर

दि- 24/9/22

संगीता राज

अभ्यर्थी का हस्ताक्षर

लागू नहीं हो उसे काट दें।

वितीय संस्था/बैंक/सरकार/आपकर/घरेलू टैक्स/प्रोपर्टी टैक्स/बिक्री कर संबंधी बकाया।

:- सभी स्तम्भ निश्चित रूप से भरे जायें। जहाँ शून्य विवरण देना हो वहाँ "शून्य" अवश्य अंकित किया जाय।

स्तम्भ खाली छोड़ देने अथवा (X) चिह्न अंकित करने पर यह माना जायेगा कि अभ्यर्थी द्वारा सूचना छिपाने की चेष्टा की गई है और यह नामांकन पत्र रद्द करने का आधार बन सकता है।